रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1972 (कार्तिक 6, 1894)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1972 (KARTIKA 6, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 फरवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1109
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1747
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	117
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1553
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।)	
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	—
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	—
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1483
भाग III—खंड 2—एकम्द कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	311
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	107
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . .	1683
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	213
पूरक संख्या 44—	
21 अक्तूबर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	2101
30 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	2109

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1109
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1747
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	117
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1553
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	—
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	—
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1483
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	311
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	107
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1683
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	213
SUPPLEMENT No. 44	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 21st October 1972 . ..	2101
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 30th September, 1972.	2109

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 9 अक्तूबर 1972

सं० 3/1/ई० सी०-1/72—श्री के० एन० तिवारी ने विदेश यात्रा से लौटने के बाद 7 अक्तूबर, 1972 से प्राक्कलन समिति के सभापति के रूप में अपना कार्यभार फिर से संभाल लिया है।

एम० एस० सुन्द्रेसन, उप-सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 अक्तूबर 1972

सं० 26/12/72-ए० एन० एल०—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की 23 फरवरी, 1961 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति एक सलाहकार समिति का गठन करते हैं, जो नीचे पैरा 5 में उल्लिखित मामलों के बारे में, अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन में गृह मंत्री के साथ सम्बद्ध रहेगी।

2. इस सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, नामत:—

(क) जिस समय, जो भी व्यक्ति लोक सभा में संघ शासित क्षेत्र अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करता हो;

(ख) संघ शासित क्षेत्र अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का मुख्य आयुक्त;

(ग) पोर्ट ब्लेयर में म्युनिसिपल बोर्ड का वरिष्ठ उपाध्यक्ष;

(घ) मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति में से इस कार्य के लिए निर्वाचित सात व्यक्ति; जिनका चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनमें से दो व्यक्ति निकोबार द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करते हों

3. उपर्युक्त पैरा 2 के खण्ड (घ) में वर्णित सदस्यों का चुनाव हाथ उठाकर किया जाएगा और उनकी सदस्यता की अवधि सामान्यत: पहली अप्रैल अथवा उनके चयन की तिथि में से, जो भी बाद में पड़ती हो, उससे लगा कर अगले वर्ष की 31 मार्च तक होगी।

4. सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री करेंगे या उनकी अनुपस्थिति में गृह मंत्रालय में मंत्री करेंगे।

5. निम्न विषयों पर सलाहकार समिति से परामर्श किया जाएगा :—

(i) क्षेत्रीय प्रशासन के राज्य के अन्तर्गत आने वाले, सामान्य नीति विषयक प्रश्न;

(ii) राज्य सूची में शामिल विषयों के बारे में क्षेत्र से सम्बन्धित सभी विधायी प्रस्ताव;

(iii) संघ के वार्षिक वित्तीय विवरण से सम्बन्धित ऐसे मामले जिनका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र से हो और अन्य ऐसे वित्तीय मामले जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नियमों में उल्लिखित हो; और

(iv) अन्य कोई मामला जिसके बारे में गृह मंत्री के विचारानुसार सलाहकार समिति से परामर्श करना आवश्यक अथवा वांछनीय हो।

6. सलाहकार समिति की बैठक छ: माह में कम-से-कम एक बार अवश्य होगी।

7. सलाहकार समिति के सदस्यों के प्रश्न पूछने-विषयक अधिकार राज्य विधान सभा के सदस्यों के अधिकारों और सीमाओं के अनुरूप होंगे; किन्तु शर्त यह है कि गृह मंत्री अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाला मंत्री निज विवेकाधीन, सार्वजनिक हित में कोई सूचना प्रदान करने अथवा किसी विषय पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर सकेगा।

8. सलाहकार समिति के सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा किन्तु भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अनुसार उन्हें समिति की बैठकों के बारे में यात्रा करने पर यात्राओं/ठहरने के लिए यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

9. सलाहकार समिति का कार्य संचालन समय-समय पर समिति के परामर्श से गृह मंत्री द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से विनियमित होगा।

जयकर जानरान, उप सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1972

संकल्प

सं० 20-37/72-एच० ई० एम०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 20-39/71-एच० ई० एम०, दिनांक 27 दिसम्बर, 1971 के संदर्भ में, जिसके द्वारा वैद्युत् उद्योग के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन, भोपाल के कार्यकलापों की समीक्षा करने और इसके कार्यक्रम के बारे में सलाह देने के लिए बनाई गई समिति में विभिन्न सदस्य नामित किए गए हैं।

2. 30 जून, 1972 से श्री ओ० एस० मूर्ति सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप वह उपर्युक्त समिति के सदस्य नहीं रहे। सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण श्री आर० सी० सेठी भी 19-6-72 से समिति के सचिव नहीं रहे।

3. श्री वी० कृष्णमूर्ति, चेयरमैन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को श्री ओ० एस० मूर्ति के स्थान पर तत्काल से उक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

4. श्री आर० कृष्णमूर्ति, उप सचिव को तत्काल से उक्त समिति का सचिव नामित किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया गया है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाय और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

न० ज० कामत, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्तूबर 1972

सं० 44 (29)/72-टी० डी०—राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, जो संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां अधिनियम) के द्वारा संस्था के रूप में पंजीकृत की गई है, के नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत भारत सरकार में निहित शक्तियों के आधार पर और औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० 18 (1)—पी० पी० एण्ड डी०/68, दिनांक 28 फरवरी 1970 में संशोधन करते हुए भारत सरकार उक्त नियम के खण्ड (क) के अन्तर्गत श्री के० टी० चान्डी, चेयरमैन, केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम को श्री एन० एन० यांचू, जिनका कार्यकाल 31 अक्तूबर, 1972 को समाप्त हो रहा है, के स्थान पर 1 नवम्बर, 1972 से दो वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली के शासी निकाय का चेयरमैन नामित करती है।

आर० बी० माथुर, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 1972

सं० 71/ई० बी०/1501/1—एतद्द्वारा आम सूचना के लिए अधिसूचित किया जाता है रिवाड़ी-बांदीकुई खण्ड पर कि० मी० 0/11 से 1/2 तक और रिवाड़ी-फुलेरा खण्ड पर कि० मी० 1/1-2 से 1/5 तक रेल मार्ग का भाग 17-6-1972 से पश्चिम रेलवे जयपुर मण्डल के नियन्त्रण से उत्तर रेलवे के बीकानेर मण्डल को हस्तांतरित कर दिया गया है।

एच० एफ० पिन्टो, सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 1972

नियम

सं० 72-ई० (जी० आर०) 1/20/4—यांत्रिक इंजीनियरों को भारतीय रेल सेवा में विशेष श्रेणी अप्रेंटिसों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1973 में ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. परीक्षा-परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग द्वारा जारी की जाने वाली सूचना में किया जाएगा। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में रिक्तियों का आरक्षण भारत सरकार द्वारा नियत संख्या में किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय है कोई भी ऐसी जाति/आदिम जाति जिसका उल्लेख संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग ग के राज्य) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 और बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति सूची (आशोधन) आदेश 1956 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (भाग ग के राज्य) आदेश, 1951 और संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; संविधान (अनुसूचित जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967; संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान, (गोआ, दमन और दीव) और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिमजाति आदेश 1970 में किया गया है।

3. इन नियमों के अन्तर्गत परीक्षा आयोग द्वारा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित ढंग से ली जायेगी।

परीक्षा-स्थल तथा परीक्षा की तारीख आयोग द्वारा नियत की जायेंगी।

4. उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा हो, या

(ग) नेपाल की प्रजा हो, या

(घ) भूटान की प्रजा हो, या

(ङ) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप में बसने के इरादे से, पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो,

(च) वह व्यक्ति जो मूलतः भारतीय हो और भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका (जो अब तक सिलोन नाम से जाना जाता था) और पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उगान्डा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य के (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार) देशों से प्रव्रजन करके भारत आया हो;

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (ग), (घ), (ङ) और (च) का उम्मीदवार वह होगा जिसे भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र दिया गया हो।

5. (क) उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी 1973 को 16 वर्ष हो चुकी हो लेकिन 19 वर्ष न हुई हो अर्थात् वह जनवरी, 1954 से पहले और 1 जनवरी, 1957 के बाद पैदा न हुआ हो।

(ख) ऊपर निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित छूट दी जा सकेगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक।

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ सदाशयी विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले प्रव्रजन करके भारत आया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, लेकिन यह रियायत किसी ऐसे उम्मीदवार को स्वीकार्य नहीं होगी जो ऐसी पिछली तीन परीक्षाओं में बैठ चुका हो।

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ सदाशयी विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले प्रव्रजन करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक। लेकिन यह रियायत किसी ऐसे उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जो ऐसी पिछली आठ परीक्षाओं में बैठ चुका हो;

(4) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी समय फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा पाई हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(5) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का, श्री लंका (जो अब तक सीलोन के नाम से जाना जाता था) से आया हुआ सदाशयी प्रत्यावर्ती हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या इसके बाद प्रव्रजन करके भारत आया तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक। लेकिन यह रियायत किसी ऐसे उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, जो ऐसी तीन परीक्षाओं में बैठ चुका हो।

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो, साथ ही भारतीय मूल का श्री लंका (जो अब तक सेलोन के नाम से जाना जाता था आया हुआ सदाशयी प्रत्यावर्ती हो तथा अक्तूबर 1964 के भारत-श्री लंका करार के अधीन नवम्बर, 1964 को या इसके बाद प्रव्रजन करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक। लेकिन यह रियायत किसी ऐसे उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य नहीं होगी जो ऐसी पिछली आठ परीक्षाओं में बैठ चुका हो।

(7) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दीव संघ क्षेत्र का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक।

(8) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगान्डा और तंजानिया के संयक्त गणराज्य (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन करके भारत आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(9) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का बर्मा से आया हुआ सदाशयी प्रत्यावर्ती हो और 1 जून, 1963 को या इसके बाद प्रव्रजन करके भारत आया हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक। लेकिन यह रियायत किसी ऐसे उम्मीदवार को स्वीकार्य नहीं होगी जो ऐसी पिछली तीन परीक्षाओं में बैठ चुका हो।

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही भारतीय मूल का बर्मा से आया हुआ सदाशयी प्रत्यावर्ती हो तथा 1 जून, 1963 को या इसके बाद प्रव्रजन करके भारत आया हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक। लेकिन यह रियायत किसी ऐसे उम्मीदवार को स्वीकार्य नहीं होगी जो ऐसी पिछली आठ परीक्षाओं में बैठ चुका हो।

(11) किसी अन्य देश के साथ युद्ध के दौरान उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में अपाहिज हो जाने के फलस्वरूप मुक्त हुए सैनिक कर्मचारियों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष तक। लेकिन यह रियायत किसी ऐसे उम्मीदवार को स्वीकार्य नहीं होगी जो ऐसी पिछली आठ परीक्षाओं में बैठ चुका हो।

(ग) गोवा, दमन और दीव के वे स्वतंत्रता सेनानी जो गोवा दमन और दीव की पुर्तगाली सरकार के कर्मचारी नहीं थे और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके परिणामस्वरूप जो भूतपूर्व पुर्तगाली प्रशासन के अधीन 6 महीने से अन्यून अवधि के लिए कैद या नजरबन्द रहे थे, इस परीक्षा में बैठ सकेंगे बशर्ते कि उनकी आयु 1-1-72 को 35 वर्ष से अधिक न हुई हो।

टिप्पणी :—वे उम्मीदवार जो ऊपर नियम 5 (ग) के अधीन रियायत लेते हैं ऊपर 5 (ख) के अन्तर्गत आयु की रियायतें पाने के हकदार नहीं होंगे।

उपर्युक्त उपबन्धों के अतिरिक्त किसी भी हालत में निर्धारित आयु-सीमाओं में छूट नहीं दी जायेगी।

6. उम्मीदवार ने

(क) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो तो उसमें गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय उसकी परीक्षा के विषय में रहा हो।

जिन स्नातकों ने डिग्री परीक्षा में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों में से कम से कम एक विषय लिया हो, वे भी आवेदन-पत्र भेज सकते हैं; या

(ख) किसी विश्वविद्यालय के तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा या ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के राष्ट्रीय परिषद् की ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रथम परीक्षा या मद्रास विश्वविद्यालय के चार वर्ष के बी० ए०/बी० एस० सी० (रात्रि विद्यालय) के चौथे वर्ष में प्रवेश के लिए तीसरे वर्ष की परीक्षा पास की हो जिसमें गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक विषय रहा हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या विश्वविद्यालय,—पूर्व या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो अथवा कम से कम पांच क्रेडिट सहित (जिनमें गणित में प्राप्त क्रेडिटों के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में प्राप्त क्रेडिट भी शामिल हैं)। कैम्ब्रिज स्कूल सर्टिफिकेट/इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

जिन उम्मीदवारों ने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ पास की हो, आवेदन पत्र भेज सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा किसी विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो।

(ग) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की पूर्व-इंजीनियरी परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो;

(घ) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड की पूर्व व्यावसायिक/पूर्व तकनीकी परीक्षा जो उच्चतर माध्यमिक या पूर्व विश्वविद्यालय स्तर के एक वर्ष बाद ली गई हो, प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो और परीक्षा के विषयों में गणित के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से कम से कम एक परीक्षा का विषय रहा हो।

(ङ) किसी विश्वविद्यालय के पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की हो, लेकिन शर्त यह है कि डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या पूर्व विश्वविद्यालय या समकक्ष परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो या कम से कम पांच क्रेडिट सहित (जिनमें गणित में प्राप्त क्रेडिट के साथ भौतिकी और रसायन विज्ञान में से किसी एक में प्राप्त क्रेडिट भी शामिल हैं) कैम्ब्रिज स्कूल सार्टिफिकेट/इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

जिन उम्मीदवारों ने पांच वर्षीय इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा प्रथम या द्वितीय श्रेणी में पास की हो, वे भी आवेदन पत्र भेज सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्रथम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली गई हो।

नोट 1 : जिन उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट या उपर्युक्त किसी अन्य परीक्षा में कोई विशिष्ट श्रेणी न दी गई हो, उन्हें भी शैक्षणिक दृष्टि से पात्र समझा जाएगा लेकिन शर्त यह है कि उनके प्राप्तांकों का कुल योग सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अंकों की सीमा में हो।

नोट 2 : कोई ऐसा उम्मीदवार जो कि ऐसी परीक्षा में बैठ चुका है जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र बनता है लेकिन जिसके परीक्षा फल की सूचना उसे नहीं मिली है, वह इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है तो वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, लेकिन शर्त यह है कि अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदवार को, यदि वह अन्यथा पात्र हो, तो परीक्षा में प्रवेश मिल जाएगा, लेकिन उसके प्रवेश को अनन्तिम समझा जाएगा और यदि वह उस परीक्षा को पास करने का प्रमाण यथा सम्भव शीघ्र और किसी भी हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से दो महीने के भीतर पेश नहीं करता, तो उसके प्रवेश को रद्द कर दिया जाएगा।

नोट 3 : आपवादिक मामलों में, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्ह मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो लेकिन जिसके पास ऐसी अर्हता हो, जिनके स्तर के बारे में आयोग का यह मत हो कि उनके आधार पर उसे परीक्षा में प्रवेश देना उचित है।

7. उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह आयोग को सूचना के अनुबन्ध 1 में विनिर्दिष्ट फीस दे।

8. सरकारी सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से या नैमित्तिक या दैनिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी से भिन्न निर्माण प्रभृत कर्मचारी के रूप में काम करने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा कि वह परीक्षा में बैठने के लिए अपने विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति प्राप्त करे।

9. परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई उम्मीदवार पात्र है या नहीं, इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. जब तक किसी उम्मीदवार के पास आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं होगा तब तक उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।

11. अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी साधन से किया गया कोई प्रयास उसे प्रवेश के लिए अनर्ह बना सकता है।

12. यदि आयोग द्वारा कोई उम्मीदवार प्रतिरूपण करने, या जाली दस्तावेज पेश करने या दस्तावेजों में काट-छांट करने या गलत या झूठे बयान देने, या महत्वपूर्ण सूचना छुपाने या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अन्य अनियमित अथवा अनुचित साधनों का सहारा लेने, या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अन्य अनियमित अथवा अनुचित साधनों का सहारा लेने या परीक्षा भवन में गर्हित साधनों का प्रयोग करने या उनके प्रयोग की चेष्टा करने या परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करने का दोषी हो या आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो तो उस पर आपराधिक अभियोग के चलाये जाने के अतिरिक्त निम्नलिखित सजा भी दी जा सकती है :—

(क) उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए :—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोग की परीक्षा में प्रवेश या साक्षात्कार में उपस्थित होने से

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन नियोजन से, बाधित किया जा सकता है।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में हो, तो उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की जा सकती है।

उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित सीमा के सिवाय फीस की वापसी के किसी दावे को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही फीस को किसी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जायेगा।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में, उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, जितने आयोग स्वविवेक से निर्धारित करे, उन्हें आयोग व्यक्तित्व परीक्षा हेतु साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

14. परीक्षा के बाद आयोग हर उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के अनुसार योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की एक सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों को, जिन्हें आयोग परीक्षा में अर्ह समझे उतनी अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा जितनी परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरने का निर्णय किया गया हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित जितनी रिक्तियां सामान्य स्तर के आधार पर भरने से रह जायें, उन्हें भरने के लिए आयोग, सामान्य स्तर को शिथिल करके, अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों की सिफारिश कर सकता है भले ही परीक्षा में योग्यता क्रम के अनुसार उनका स्थान कहीं भी हो बशर्ते वे सेवा में नियुक्ति के योग्य हों।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल किस रूप में और किस ढंग से भेजा जाये, इस बात का निर्णय आयोग स्वविवेक से करेगा और परिणाम के सम्बन्ध में आयोग उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

16. परीक्षा में सफल होने से तब तक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक सरकार आवश्यक जांच पड़ताल के बाद इस बात से सन्तुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

17. उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसके कारण सेवा में अधिकारी के नाते उसके कर्तव्य पालन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। जो उम्मीदवार (ऐसी शारीरिक परीक्षा के बाद जैसी कि सरकार या नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट करे) इन आवश्यक बातों को पूरा नहीं करता उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा ली जाएगी जिनकी नियुक्ति के बारे में विचार होने की सम्भावना रहती है। डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवारों को सम्बन्धित चिकित्सा मण्डल को 16 रुपये फीस देनी होगी।

नोट : उम्मीदवारों को किसी प्रकार की निराशा न हो, उसके लिए उन्हें सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी चिकित्सा अधिकारी से अपनी परीक्षा करा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी परीक्षा होगी और उसमें उनसे किस स्तर की अपेक्षा की जायेगी; इसका ब्यौरा इन नियमों के परिशिष्ट II में दिया गया है। अपाहिज भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में, प्रत्येक सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इन स्तरों में छूट दी जायेगी।

18. कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो, जिसकी एक पत्नी/जिसका एक पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो,

सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत इस प्रकार का विवाह अनुमेय है, और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

19. इस परीक्षा के माध्यम से चयन किए गए विशेष श्रेणी अप्रेंटिसों के लिए अप्रेन्टिसी की शर्तें परिशिष्ट III में दी गई हैं। यांत्रिक इंजीनियरों की भारतीय रेल सेवा से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण भी परिशिष्ट IV में दिया गया है।

एच० एफ० पिंटो, सचिव, रेलवे बोर्ड

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-1, the 9th October 1972

No. 3/1/*ECI*/72.—On return from abroad, Shri K. N. Tewari has resumed his duties as Chairman of the Committee on Estimates with effect from the 7th October, 1972.

M. S. SUNDARESAN, Dy .Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th October 1972

No. 26/12/72-*ANL.*—In supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 21/128/60-ANL dated 23rd February, 1961, the President is pleased to constitute an Advisory Committee to be associated with the Minister of Home Affairs in the administration of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands in respect of matters specified in paragraph 5 herein-below.

2. The Advisory Committee shall consist of the following members, namely :—

(a) the person for the time being representing the Union territory of Andaman and Nicobar Islands in the Lok Sabha;

(b) the Chief Commissioner of the Union territory of Andaman and Nicobar Islands;

(c) the senior Vice-Chairman of the Municipal Board, Port Blair;

(d) seven persons elected for the purpose from among members of the Chief Commissioner's Advisory Committee so, however, that at least two of them shall be persons representing the Nicobar Group of Islands.

3. The election of members under clause (d) of paragraph 2 above shall be by show of hands and their term of membership shall ordinarily be from the first of April or the date of their election, whichever is later, upto the 31st of March of the succeeding year.

4. The meetings of the Advisory Committee shall be presided over by the Minister of Home Affairs or in his absence by a Minister of State in the Ministry of Home Affairs.

5. The Advisory Committee shall be consulted in regard to :—

(i) general questions of policy relating to the administration of the territory in the State field;

(ii) all legislative proposals concerning the territory in regard to matters in the State list;

(iii) such matters relating to the annual financial statement of the Union in so far as it concerns the territory and such other financial questions as may be specified in the rules prescribed by the President; and

(iv) any other matter on which it may be considered necessary or desirable by the Minister of Home Affairs that the Advisory Committee should be consulted.

6. The Advisory Committee shall meet at intervals of not more than six months.

7. Subject to the discretion of the Minister of Home Affairs, or the Minister presiding over a meeting, to refuse in the public interest to give any information or to allow discussion on any matter, members of the Advisory Committee will have rights in regard to interpollations analogous to and under similar limitations as those of members of a State legislature.

8. The membership of the Advisory Committee shall not carry any remuneration but the members will be entitled to travelling allowance and daily allowance in respect of journeys/halts in connection with the meetings of the Committee in accordance with the general or special orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

9. The conduct of business of the Advisory Committee shall be regulated by such rules of procedure as may be framed time to time by the Minister of Home Affairs in consultation with the Advisory Committee.

JAYAKER JOHNSON, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 29th September 1972

RESOLUTION

No. 20-37/72-*HEM.*—Reference this Ministry's Resolution No. 20-39/71-HEM dated the 27th December, 1971 nominating various members on the Committee to review the activities and advise on the programme of the Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal.

2. Consequent upon his retirement with effect from the 30th June 1972, Shri O. S. Murthy ceased to be member of the aforesaid Committee. Shri R. C. Sethi also ceased to be Secretary of the Committee with effect from 19-6-72 on account of his retirement from Government service.

3. Shri V. Krishnamurthy, Chairman, Bharat Heavy Electricals Ltd. is nominated as a member of the said Committee with immediate effect in place of Shri O. S. Murthy.

4. Shri R. Krishnaswamy, Deputy Secretary, is nominated as Secretary of the Committee with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. J. KAMATH, Jt. Secy.

New Delhi, the 6th October 1972

No. 44(29)/72-*TD.*—By virtue of the powers vested in the Government of India under Rule 3 of the Rules of the National Productivity Council, which has been registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) and in modification of the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Deptt. of Industrial Development) Notfin. No. 18(1)/PP&D/68 dated 28th February, 1970, the Govt. of India are pleased to nominate under Clause (a) of the said Rule Shri K. T. Chandy, Chairman, Kerala State Industrial Development Corporation Ltd., Trivandrum, as Chairman of the Governing body of the National Productivity Council, New Delhi, for two years with effect from the 1st November, 1972 vice Shri N. N. Wanchoo, whose term expires on 31st October, 1972.

R. B. MATHUR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 30th September 1972

No. 71/*EB*/1501/1.—It is hereby notified for general information that the portions of track from kilometre 0/11 to 1/2 on Rewari-Bandikui section and from kilometre 1½ to 1/5 on Rewari-Phulera section have been transferred from the control of Jaipur Division of Western Railway to the Bikaner Division of the Northern Railway with effect from 17-6-1972.

H. F. PINTO, Secy.
Rly Board

RULES

New Delhi, the 28th October 1972

No. 72/*E*(*GR*)*I*/20/4.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973, for 'selection of candidates for appointment as Special Class Apprentices' in the Indian Railway Service of Mechanical Engineers, are published for general information.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order

1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes, Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Commission in the manner precribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. (a) A candidate must have attained the age of 16 years and must not have attained the age of 19 years on 1st January, 1973 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1954, and not later than 1st January, 1957.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March 1971. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at three previous examinations;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March 1971. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at eight previous examinations;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at three previous examinations;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at eight previous examinations;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at three previous examinations.

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at eight previous examinations;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at three previous examinations; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. This concession shall not, however, be admissible to a candidate who has already appeared at eight previous examinations.

(c) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu who were not employees of the Portuguese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence thereof, imprisonment or detention for not less than six months under the former Portuguese Administration, will be permitted to appear at the examination provided they have not attained the age of 35 years as on 1st January 1972.

NOTE.—Candidates claiming age concession under Rule 5 (c) above will not be entitled to the age concession allowed under Rule 5(b) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate—

(a) must have passed in the first or second division the Intermediate or an equivalent Examination of a University or Board approved by the Government of India with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination.

Graduates with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as their degree subjects may also apply or

(b) must have passed the first year Examination under the three-year degree course of a University or the first examination of the three-year diploma course in Rural Services of the National Council for Rural

Higher Education, or the third year Examination for promotion to the 4th year of the four-year B.A./B.Sc. (Evening College) Course of the Madras University, with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination provided that before joining the degree/diploma course he passed the Higher Secondary Examination or the Pre-University or equivalent Examination in the first or second division or obtained the Cambridge School Certificate/Indian School Certificate with at least five credits including credits in Mathematics and at least in one of the subjects Physics and Chemistry.

Candidates who have passed the first/second year Examination under the three-year degree course in the first or second division with Mathematics and either Physics or Chemistry as subjects of the Examination may also apply provided the first/second year Examination is conducted by a University; or

(c) must have passed in the first or second division the pre-Engineering Examination of a University approved by the Government of India; or

(d) must have passed in the first or second division the Pre-Professional/Pre-Technological Examination of any Indian University or a recognised Board, with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination conducted one year after the Higher Secondary or pre-University stage; or

(e) must have passed the first year Examination under the five year Engineering Degree Course of a University, provided that before joining the Degree Course, he pased the Higher Secondary Examination or Pre-University, or equivalent examination in the first or second division or obtained the Cambridge School Certificate/Indian School Certificate with at least five credits including credits in Mathematics and at least in one of the subjects Physics and Chemistry.

Candidates who have passed the first year Examination of the five-year Engineering Degree Course in the first or second division may also apply provided the first year Examination is conducted by a University.

NOTE I.—Candidates who are not awarded any specific division by the University/Board either in the Intermediate or any other examination mentioned above will be considered educationally eligible provided their aggregate of marks falls within the range of marks for first or second division as prescribed by the University/Board concerned.

NOTE II.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at the examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided that the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject, to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE III.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which, in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination

7. Candidates must pay the fee prescribed Annexure I to the Commission's Notice.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or a temporary capacity or as a work-charged employee other than a casual or daily-rated employee, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be summoned by them for the Personality Test.

14. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Railway Service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the medical examination.

NOTE.—In order of prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government medical officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix II to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the service.

18. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. Conditions of apprenticeship for the Special Class Apprentices selected through this examination are given in Appedix III. Brief particulars relating to the Indian Railway Service of Mechanical Engineers are also given in Appendix IV.

H. F. PINTO,
Secy. Railway Board.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972